

आदेश-पत्रांक

सत्र:-

हल्का संख्या:-

पटना सदर

प्रकार:-	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में
1	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: blue;">281/12-14</div>	3

आवेदक/आवेदिका श्री 27/11/13 पिता/पति.....
स्वा. जगन्नाथ राव ग्राम पपरीघाट थाना.....
सु. जगन्नाथ राव सा. जिला पटना
 के वाला नं०..... दिनांक..... के

आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन पत्र दिया है।
जमीन का विवरण:-

मु०. पपरीघाट वार्ड न० 17/3 शीट न० 138 सर्किल न०, हो न०, म्यू० प्लॉट न० 276 रकबा 312.04
खंडलपुर कपिल

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। अभिलेख दिनांक 31/11/13 की उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी पटना सदर
 अंचल अधिकारी पटना सदर

अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। पक्ष आम महाल रैयत को सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 17/11/13 को रखें।
 लिखापित एवं संशो०

अंचल अधिकारी पटना सदर
 अंचल अधिकारी पटना सदर

अभिलेख उपस्थापित, महाल पर नोटिस तामिला प्राप्त है। सुनवाई के समय कोई आपति प्राप्त नहीं है। हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने प्रतिवेदन किया है। कि आवेदित भूमि का जमावन्दी कायम नहीं है। दिनांक 01.01.1956 से 107 प्रति कठ्ठा अलावे शेष की दर से लगान वसूली हेतु अनुशंसा किया है। अतः इनके अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त भूमि का लागन दिनांक 01.01.1956 से 107 प्रति कठ्ठा अलावे शेष दर से राजस्व लागन वसूल करने की 107 दी जाती है।
 शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी पटना सदर
 अंचल अधिकारी पटना सदर

प्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत
 दिनांक 19/11/13